संख्या-48/सीपी 466/84-2-2013-सीपी 22/88

प्रेषक,

हरिश्चन्द्र,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निबन्धक,
राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग,उ.प्र.,
सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-2 लखनऊ : दिनांक : 10 फरवरी, 2014

विषय उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित पदों (राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0-95, विभिन्न जिला उपभोक्ता फोरम-392) का सततीकरण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-3488/एससीडीआरसी/अधि0 32/91-पार्ट-2, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय प्रदेश में उपभोक्ता संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित संलग्न सूची में उल्लिखित अस्थायी पदों की निरन्तरता शासनादेश संख्या-सीपी 192/84-2-2013-सीपी 22/88, दिनांक 22 अप्रैल, 2013 द्वारा दी गई शर्तो पर दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक, यदि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के इससे पूर्व ही समाप्त न कर दिये जायें, चलते रहने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. ऊपर उल्लिखित पदों पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक ''3456-सिविल पूर्ति आयोजनेत्तर 001-निदेशन तथा प्रशासन-06-उपभोक्ता संरक्षण'' के अंतर्गत स्थापित राज्य आयोग तथा जिला फोरमों का अधिष्ठान के अंतर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

3. उपर्युक्त स्वीकृति इस शर्त के अधीन है कि होने वाला व्यय लेखानुदान एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा प्राधिकृत धनराशि से पूरित हो और अनुवर्ती अवधि जो लेखानुदान के अंतर्गत नहीं है, का व्यय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक एवं तत्संबंधी विनियोग अधिनियम द्वारा स्वीकृत धनराशि से उपलब्ध हो जाये।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

....2....

http://shasanadesh.up.nic.in

पृष्ठांकन संख्या-48/सीपी 466(1)/84-2-2013, तद्-दिनांक

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आव'यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार (लेखा प्रथम) उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।

(2) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश (निबन्धक, राज्य आयोग के माध्यम से)।

(3) मुख्य लेखाधिकारी, खाद्य आयुक्त कार्यालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।

(4) अध्यक्ष, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, उ0प्र0, सी-1, विक्रान्त खण्ड-1, गोमती नगर, लखनऊ।

(5) समस्त अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता फोरम, उत्तरप्रदेश (निबन्धक, राज्य आयोग के माध्यम से)

(6) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7, उत्तर प्रदेश शासन।

(7) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2, उत्तर प्रदेश शासन।

(8) उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।

(9) खाद्य एवं रसद अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन।

(10) गार्ड बुक

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in